तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री राजेश गौतम, अभिभाषक प्रार्थी
श्री एस.के.शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 02.03.2022

निर्णय

यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–7–2011 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी / वादी ने एक वाद धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 125, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। दावा व जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर प्रकरण प्रार्थी / वादी की साक्ष्य में नियत किया गया। दिनांक 19–7–2011 को प्रार्थी / वादी की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू.1 की साक्ष्य करायी गयी एवं गवाह पी. डब्ल्यू. 2 के बयान एवं जिरह का अवसर प्रदान किये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय ने दिनांक 19–7–2011 को निरस्त कर दिया। उनका तर्क है कि प्रार्थी अपना वाद लेकर आया है। प्रार्थी अपने वाद को अपने अभिलिखित किये गये तथ्यों के आधार पर साबित कराना चाहता है जिसके लिए प्रार्थी के गवाह पी.डब्ल्यू.1 की साक्ष्य करायी है किन्तु और गवाह एवं जिरह आदि हेतु एक अवसर प्रार्थी ने चाहा था जिसे नजरअंदाज कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करने में विचारण न्यायालय ने भूल की है। अतः

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन आदेश दिनांक 19–7–2011 निरस्त किया जावे विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी / वादी को साक्ष्य हेतु विचारण न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान किये जा चुके हैं, ऐसी स्थिति में प्रार्थी / वादी के प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए वादी की साक्ष्य बंद किये जाने का आदेश पारित करने विचारण न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत प्रार्थी / वादी की साक्ष्य बंद की गई है। किन्तु हम न्यायहित में पक्षकारान के मध्य अनावश्यक वादकरण को रोकने तथा समुचित एवं शीघ्र न्याय निर्णयन के उद्धेश्य से 2000 / –रूपए (दो हजार रूपए) की कोस्ट पर प्रार्थी / वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते हैं। अतः यह निगरानी ग्राहयता के स्तर पर ही 2000 / –रूपए (दो हजार रूपए) की कॉस्ट भुगतान करने की शर्त पर स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–7–2011 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी / वादी को साक्ष्य हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। तहत का अभिलेख अविलम्ब लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	